

प्रेषक,

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पत्रांक : दो (02) / 13300 /रा0प्रा0शि0सं0मां0 /2016-17 दिनांक: 12 सितम्बर, 2016

विषय : शिक्षकों को अपने गृह निवास स्थान आने-जाने हेतु वर्ष में एक बार आकस्मिक अवकाश के साथ पूर्व की भाँति यात्रा अवकाश अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक दिनांक 06 सितम्बर, 2016 को अपर मुख्य सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, सचिव प्रारम्भिक शिक्षा, अपर सचिव/महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड एवं विद्यालयी अधिकारियों के साथ राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखण्ड, राजकीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ तथा राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के साथ हुई, वार्ता में विचार किया गया गया कि :-

- 01- पूर्व में Government United Provinces Appointment Department no. 2490/ii 749 लखनऊ दिनांक 23 अप्रैल, 1937 के अन-आफीशियल मैमोरेण्डम में वर्ष में एक बार अपने गृह निवास स्थान आने जाने हेतु शासकीय सेवकों को आकस्मिक अवकाश के साथ स्वीकृता अधिकारी द्वारा यात्रा अवकाश दिये जाने की व्यवस्था थी, जिसमें नवोदित राज्य द्वारा कोई संशोधन नहीं किया गया है न ही इस निरस्त किया गया। उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम-2000 की धारा 87 के अन्तर्गत पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के समस्त शासनादेश एवं व्यवस्थायें उत्तराखण्ड राज्य में यथावत लागू होंगे, जब तक कि उनमें परिवर्तन अथवा उन्हें निरस्त नहीं कर दिया जाता।
- 02- उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-13/6/2002-का-1-2003 दिनांक 07 जनवरी, 2003 के द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2490/11-749 दिनांक 23 अप्रैल, 1937 को निरस्त कर दिया गया है, दिनांक 09-11-2000 को नवोदित राज्य गठन के उपरान्त के उत्तर-प्रदेश राज्य के नियम एवं शासनादेश उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी नहीं होते हैं।

03- नवोदित राज्य उत्तराखण्ड द्वारा Government United Provinces Appointment Department no. 2490/ii 749 लखनऊ 23 अप्रैल, 1937 में कोई संशोधन नहीं किया गया है, न ही इस निरस्त किया गया है।

अतः उपरोक्त के क्रम में Government United Provinces Appointment Department no. 2490/ii 749 लखनऊ 23 अप्रैल, 1937 की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- यथोपरि।

 भवदीय
12/5/16

(सीमा जौनसारी)

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ0सं0 : दो(02) / 13300 / रा0प्रा0शि0सं0मांग / 2016-17 दिनांक उक्तवत्।


प्रतिलिपि :- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01- सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

02- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

03- मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल / कुमाऊँ मण्डल।

04- समस्त उप शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) के माध्यम से।



(सीमा जौनसारी)

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

(66)

संस्थाओं में कार्यरत लिपिकों को केवल ग्रीष्मकाल
शनिवार को अवकाश की सुविधा प्रदान करने की र
शनिवार को पूर्ण छुट्टी रहा करेगी।

प्रांतीय
द्वितीय

भवदीय विनयकृष्ण, उपसचिव।

(13)

आकस्मिक अवकाश पर दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में जाने हेतु
23 अप्रैल 1937

GOVERNMENT UNITED PROVINCES

Appointment Department

No. 2490/II 749

Dated Lucknow, April 23, 1937

UN-OFFICIAL MEMORANDUM

Under paragraph 188 (as revised) of the Manual of Government orders Volume I, Casual leave may not ordinarily be granted for more than 14 days in a year, but sanctioning authorities have the discretion to grant, in exceptional circumstances, a few days extra. In a few departments orders have been issued, or a practice has arisen of, relaxing the limit of 14 days in favour of Government servants serving in the hills, or those serving in the plains and having their homes in the hills, so as to admit of the grant to them of 14 days, casual leave exclusive of the time, or a part of the time, required for their journeys to and from their homes. The reason is the adverse conditions of journey in the hills while it is realized that the concession of allowing time for journey is probably reasonable in cases of long distances, a general rule extending it to all the cases of the Government servants referred to above is not required. It is suggested as a rough guiding principle for sanctioning authorities that journey time, or a part of it, should be granted only in cases in which the journeys to a Government servants' home in the plains or the hills, as the case may be and back, take more than four days. Instructions may kindly be issued accordingly to sanctioning authorities, where necessary, under your control.

Sd. C. W. GWYNNE Chief secretary.

All Department of the secretariat including the public works Department (B. R. & Irrigation Branch).